

कार्यालय प्रमाणीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

(एल-25 एम.एम. विहार फेरा-प्रथम, सोनकपुर तहसील, जिला रोहतास, मुरादाबाद-दूरभाष सं०-0591-2450066)

पत्रांक 08 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, जूलाई, 1, 2017.

किस में

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

विषय:-

दूरभाष केंद्र कॉट से राजकीय मार्ग सं०-49 (मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग) के कि०मी० 30.900 से 36.00 तक बॉयी पटरी (कुल दूरी 5.1 कि०मी०) पर 0.153 है० संरक्षित वन भूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति के संबंध में।

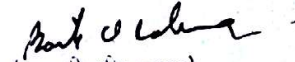
प्रास्ताविक

उपरोक्त विषयक कृम में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद में उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, मुरादाबाद द्वारा राज्यमार्ग सं०-49 (मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग) के कि०मी० 30.900 से 36.00 तक बॉयी पटरी (कुल दूरी 5.1 कि०मी०) पर 0.153 है० संरक्षित वन भूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने की अनुमति हेतु कार्य प्रस्तावित है, जिसके कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अनुमत वन भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव ए० ड० शासन को प्रेषित किया जाना है।

अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में विषयक प्रस्ताव ए० ड० शासन को प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही कर प्रस्ताव राज्य स्तर को प्रेषित करना चाहिए।

संलग्नक-प्रस्ताव की 4 प्रतियाँ मूल में।

भवदीय,



(डा० बी०सी० ब्रह्मा)

प्रमाणीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।

पत्रांक

दिनांकित।

प्रतिलिपि उप मण्डलीय अभियन्ता, दूर संचार परियोजना, डी-13/15 देव विहार कालोनी, मुरादाबाद को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० बी०सी० ब्रह्मा)

प्रमाणीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।